न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 32/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. केसाराम पुत्र रामूराम 2 बलाराम पुत्र रामूराम 3 हेमाराम पुत्र रामूराम 4 गंगाराम पुत्र रामूराम 5 पूर्णाराम पुत्र रामूराम 6 राजीदेवी पुत्र रामूराम जातियान जाट निवासीगण उटवालिया तहसील व जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर। 2. राजस्थान सरकार तहसीलदार नागौर

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 29.05.2017

वादी निम्नलिखित वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, वादीगण संख्या 1 से 5 सगे भाई है व वादी संख्या 6 इनकी माता है जो सभी स्व रामूरामजी के विधिक उतराधिकारी है जिनका एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार रहता चला आया है।

यह है कि मूल खसरा न 463 रकबा 66 बीघा 7 बिस्वा सरहद मौजा उटवालिया वादीगण व दीगर कुटुम्ब का पीढियों पुराना कब्जा काश्त खातेदारी का खेत रहता चला आया था बाद मे सन् 1996 मे हुए पारिवारिक बंटवाडे मे हाल खसरा न. 463 मे से खसरा न. 463/906 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा वादीगण के कब्जासुदा व बंटसुदा खेत कब्जा अनुसार आया था। इस खेत के पूर्वी तरफ चिपता ही कटाणी रास्ता खसरा न. 464 नक्शे मे दर्ज है जो रास्ता रोहिणी जाने वाले रास्ता से फंट कर बावडी ताल के रास्ते मे मिलता है मगर उक्त रास्ता नक्शे मे वादीगण के खातेदारी के खेत खसरा न. 463/906 के पूर्व मे स्थित जरूर है लेकिन मौके पर उक्त रास्ता पीढियो से यानि सेटलमेट से पूर्व से वादीगण के खेत खसरा न 463/906 की पश्चिमी दिशा से होकर चलजा है व नक्शे मे दर्ज रास्ते की भूमि वादीगण की काबिल काश्त खातेदारी की भूमि है व नक्शे मे दर्ज रास्ते की भूमि खसरा न. 463/906 का ही भाग है व उक्त भूमि पर रास्ता कभी नही चलने से वादीगण ने उक्त स्थान पर अपनी रहवासी पक्की ढाणियां व टांके इत्यादि बना रखे है, जिन ढाणियो मे वादीगण मे पूर्वज निवास करते थे व वर्तमान मे वादीगण परिवार सहित निवास करते आ रहे है व नक्शे मे दर्ज कटाणी रास्ते की भूमि व मौके पर वर्तमान मे वादीगण पीढियो से चल रहे रास्ते की भूमि हाल खसरा न. 464 बन्दोबस्त अधिकारियो ने बन्दोबस्त के समय गलत दरशा दिया गया था। जबकि नक्शे मे दर्ज कटाणी रास्ता मौके पर कभी नही चला व सेटलमेंट से पूर्व से लेकर आज दिन तक रास्ता मौके पर कभी नही चला व

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

सेंटलमेट से पूर्व से लेकर आज दिन तक रहा हैं । मगर हाल ही मे वादीगण के दिनांक 10.8.2015 को इसी रास्ते के ढाणी के उतरी माठ पर चल रहे कटाणी रास्ते का विवाद होने पर मौके पर नाप चोप करने के लिए पटवार हल्का के आने पर उन्होने बताया कि यह कटाणी रास्ता खसरा न.463/906 के पूर्वी तरफ नक्शे मे दर्ज है और मौके पर रास्ता खसरा न. 463/906 के पश्चिमी तरफ चलता है जो नक्शे मे दर्ज कटाणी मार्ग से अलग जगह चलता है व उन्होने यह भी जाहिर किया कि रास्ते की भूमि पर क़ाश्त व निर्माण हो रखा होने से जब तक दुरूस्ती नहीं होगी तब तक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। वादीगण के इस खेत मे पीढियो पुराने रहवासी मकान, ढाणिया व पानी के होद इत्यादि बने हुए है और इस जगह को काफी विकसित किया गया है जिससे बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा मौके पर रास्ता नही होते हुए भी इस रास्ते की गलत इन्द्राजी कर देने के कारण बादीगण के हक अधिकारो पर खतरे के बादल मण्डराने लग गये है, इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि वादीगण ने वाद पेश करने से पूर्व दिनांक 25.8.2015 को प्रतिवादीगण को विधिक नोटिस धारा 80 सीपीसी के तहत अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रेषित करवा कर सूचित किया कि नोटिस मिलने के दो माह के भीतर भीतर वादीगण की खातेदारी के खेत खसरा न. 463/906 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा के पूर्व मे स्थित कटाणी मार्ग की भूमि को खेत के रकबे मे मिलाकर तथा रास्ते के लिए काम आई भूमि जो मौके पर चल रहा है, खेत के रकबे मे से कम कर राजस्व रेकर्ड व नक्शा आदि मे आवश्यक दुरूस्ती कर वादीगण के खिलाफ गलत इन्द्राजी की आड़ मे कोई बेदखली नहीं करने का अनुबंध स्वीकार किया जावे अन्यथा बाद गुजरने मियाद आपके विरूद दाव घोषणा खातेदारी ,दुरूस्ती रेकर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा के सक्षम न्यायालय मे पेश किया जावेगा जिसके तमाम खर्चे हर्जे की जिम्मेवारी आपकी स्वय की होगी जो नोटिस प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 को प्राप्त हो गये जिनकी प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीदे वापिस लौट कर आ गयी मगर नोटिस मिलने के दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद उक्त अनुसार रेकर्ड मे दुरूस्ती व खातेदारी का रकबा सही दर्ज नहीं करने के कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पेश करने का बिनायवाद पैदा होने से अन्दर मियाद यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये प्रतिवादीगण की तरफ से तहसीलदार नागौर ने जवाब दावा प्रस्तुत कर लिखा कि ग्राम उँटवालिया के खसरा नं. 464 रिकार्ड मे गैर मुमकिन गोवा दर्ज है। जो सरकारी खाते मे चल रहा है जिसका रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा रिकोर्ड मे दर्ज है। उक्त खसरा रिकोर्ड मे गैर मुमकिन गोवा दर्ज होने से खातेदारी दि जाने संभव नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO),नागौर

केसाराम बनाम सरकार
राजस्व वाद संख्या 32/2016

पत्रावली 29.05.17 को अटल सेवा केन्द्र उँटवालिया पेश हुआ जिसमे वादीगण उपस्थित हुवे ग्राम पंचायत उँटवालिया मे मजमेआम मे पुछताछ की गई तो बताया गया कि खसरा नं. 464 गैर मुमकिन गोवा राजकीय भूमि दर्ज है। राजकीय भूमि मे किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। उक्त रकबा मौके पर गैर मुमकिन गोवा के रूप मे दर्ज रहता आया है। वादी का वाद पोषणीय नही होने एवं राजस्व रेकर्ड से साबित नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

खारिज का डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

निर्णय आज दिनांक 29.05.17 को मजमेआम मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

—: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर :—

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर

इजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. केसाराम पुत्र रामूराम 2 बलाराम पुत्र रामूराम 3 हेमाराम पुत्र रामूराम 4 गंगाराम पुत्र रामूराम 5 पूर्णाराम पुत्र रामूराम 6 राजीदेवी पुत्र रामूराम जातियान जाट निवासीगण उटवालिया तहसील व जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर। 2. राजस्थान सरकार तहसीलदार नागौर

राजस्व वाद 32/2016 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतंई रूबरू ....व हाजरी..मिनजानिब मुद्दई व ....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है खसरा नं. 464 गैर मुमकिन गोवा राजकीय भूमि दर्ज है। राजकीय भूमि मे किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। उक्त रकबा मौके पर गैर मुमकिन गोवा के रूप मे दर्ज रहता आया है। वादी का वाद पोषणीय नही होने एवं राजस्व रेकर्ड से साबित नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

.... लीज.. मुबलिक..बाबत्..............................खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर.. ....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............ ....को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.............. ....माह..................................सन् 20..

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

दस्तखत............................

ओहदा..................................

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर